

कार्यालय

उच्च. प्रविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या - प्राविपरिषद सम्बद्धता/03/10/537

संख्या- दिनांक- 05/08/2021

कार्यालय द्वारा

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/केंद्रीय काउन्सिल ऑफ़ इज्युकेशन, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्रविधिक शिक्षा परिषद, 10/08 संख्यक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 05/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संघट्ट हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अखिल नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संबंधित संस्थाओं को सम्बद्धता विचार प्रदान/प्रयोग करना सुनिश्चित एवं सर्वोत्तम विचार करने हेतु सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्रविधिक शिक्षा परिषद, 10/08 संख्यक द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रत्यक्ष एवं उत्तम अर्थों में प्रयोग प्रदान हेतु सम्बद्धता विचार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1334-HAVI COLLEGE OF PHARMACY, ENR, BLOCK-D, HASTRIPURAM, AG RA-3 02607			
क्र.सं.	प्रत्यक्ष का नाम	संस्था द्वारा ही/वैकल्पिक/आई. द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रयोग प्रदान	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रयोग प्रदान
1	DIPLOMA IN PHARMACY	66	66

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था 10 आइएसीटी/टी/आईटी/आईटी/आईटी द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रविधिक शिक्षा परिषद द्वारा 1982 तथा प्रविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, संशोधन विनियमवली-2016 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों हेतु प्रत्यक्ष प्रयोग हेतु रु. 30,150,000/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के लिए प्रयोग हेतु रु. 45,000,000/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वर्षों प्रयोग हेतु दो वर्षों के लिए प्रयोग के अधीनस्थ हेतु रु. 22,500,000/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रयोग प्रदान/प्रयोग से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अधीनस्थ प्रयोग/प्रयोगों से शुल्क के सम्बन्ध में समझौता पर सहमत द्वारा निर्णय किन्हीं अन्य कले प्रयोग/प्रयोग प्रदान/प्रयोग, और अनुपालन आवश्यक होगा। शर्त निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु परीक्षा का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो परीक्षा की स्थिति/स्थिति हेतु होगी।
- ✓ संस्था को 10/08 प्रविधिक शिक्षा समिति/तथा उप समिति, संस्थाओं को सम्बद्धता विचार प्रदान/विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रयोग प्रयोग परिषद द्वारा अखिल उत्तम को ही प्रयोग दिया जाएगा। शर्तों के विस्तार एवं शर्तों की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश/उत्तर ही प्रयोग की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्णय प्रदान/प्रदान के अनुक्रम निर्देश एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को 10 आइएसीटी/टी/आईटी/आईटी/आईटी से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाना आवश्यक होगा।

- ✓ संसद उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिनियमों/अधिनियमों/आल-राउंडिंगों एवं निर्देशों, प्राविधिक शिक्षा, 2080, संसद प्रदेश परीक्षा परिषद, 2080 तक प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2080 द्वारा बनाये गये नियमों, विधिनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये सक्षम होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संरचना यदि बी.बी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में संसद उत्तरप्रदेशित संसद का होगा और प्रारंभिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संसद स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संसद प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई कदम उठाने किंचित उचित है तथा उक्त कदम के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किंचित उचित है तो संसद प्रतिपूर्ति संबंधित संसद को करती होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली संसदों को संसद प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संसदन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रदेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीपीपीआई/पीपी के अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश संसद स्तर पर सीधे प्रवेश अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेशित नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संसद को अपनी वेबसाइट पर संसद की संसद सूचना जैसे संसद की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, सारण, सारनामा, उपकरण, प्राप्त किंचित जने वसा सुनक, सारनामा सुनक आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संसद को शिक्षा-विकास हेतु उपयुक्त संसाधन उपलब्ध करने के साथ शैक्षणिक क्षेत्रों के संबंध में संसद आवश्यक संसाधन सुनिश्चित करती होगी।
- ✓ संसद को सुनिश्चित हो ने कि संसद में प्राथमिक संशोधित पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने हेतु निर्दिष्ट समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, कारीख, उपकरण इत्यादि का यदि संसद द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम की संघालन में प्रयोग किंचित उचित है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संसद उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संसद संसद की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संसद के राष्ट्रीय निर्दिष्ट क्षेत्रों यदि संसद में भूमि भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य प्राक-संसाधन पीपीपीआई/पीपीआई/पीपीआई/पीपीआई के समकक्षता उपलब्ध नहीं प्राप्त जाते है तो संसद की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता वाली का अनुपालन न किये जाने अथवा कार्य का उपलब्ध किये जाने की शिष्टि में विनियुक्त अनुपालनसमय कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

फ़ोन नं- प्राविधिक परिषद सम्बद्धता 2021 0338-4819

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिपत्रिका-

प्रधानाचार्य/निदेशक, RAVI COLLEGE OF PHARMACY, ER-3, BLOCK-Q, HASTRIPURAM, AGRA-202007



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

